

~~30~~ - ~~56~~

-14-

प्रेषक

निदेशक, ई एस आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा।

संवाद में

1. सिविल सर्जन, ई एस आई स्वास्थ्य संरक्षण,  
सैकटर-8, फरीदाबाद, गिरानी, गुडगांव तथा यमुनानगर।
2. विकित्सा अधीक्षक, ई एस आई हस्पताल, इन० एच०-३, फरीदाबाद, सैकटर-8,
3. सभी वरिष्ठ विकित्सा अधिकारी प्रभारी, ई एस आई डिस्पैसरी,
4. सभी विकित्सा अधिकारी प्रभारी, ई एस आई डिस्पैसरी,

यादि क्रमांक 21/13 ESI - रो-1-2013/५७५/-५८२। दिनांक १५/१/३

प्रियजन :— Prior Permission by Taxi.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयलिखित गामले में आपको लिखा जाता है कि जो विकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ विकित्सा अधिकारी/विकित्सा अधीक्षक सरकारी कार्य उत्तु यात्रा करते हैं, वह सम्बन्धित सिविल सर्जन से टैकरी की अनुमति प्राप्त करके यात्रा करें।

*Prashant Singh*  
प्रशासनिक अधिकारी

कृते: निदेशक, ई एस आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा।

*(Signature)*  
SUPERINTENDENT,  
E.S.I Health Care, Haryana.